"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2016— श्रावण 26, शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 के प्रावधानान्तर्गत नगरपालिका परिषद्, सारंगढ़ जिला रायगढ़ की निर्वाचित परिषद् का दिनांक 18-08-2016 को अवसान होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 328 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नगरपालिका परिषद्, सारंगढ़ जिला रायगढ़ के लिए आगामी आदेश पर्यन्त निम्नांकित प्रशासनिक समिति जिसे नगर प्रशासक पठित किया जाएगा, गठन करता है :-

स. क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्रीमती चम्पा ईश्वर देवांगन	अध्यक्ष
2.	श्री अविनाशपुरी गोस्वामी	उपाध्यक्ष
3.	श्री सत्येन्द्र सिंह बरगाह	सदस्य
4.	श्री जगन्नाथ केशरवानी	सदस्य
5.	श्री समीर सिंह ठाकुर	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-5/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2016/18, दिनांक 17-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 17th August 2016

NOTIFICATION

No. F 1-5/2016/18.— Under section 36 of Chhattisgarh Municipality Act, 1961 the duration of Municipal Council Sarangarh District - Raigarh is over on 18-08-2016. The State Government in exercise of the powers conferred by section 328 (B) hereby nominates administrative committee of the following members known as Town Administrator as under :-

Sl. No. (1)	Name (2)	Post (3)
1.	Smt. Champa Ishwar Dewangan	President
2.	Shri Avinashpuri Goswami	Vice President
3.	Shri Satyendra Singh Bargah	Member
4.	Shri Jagannath Kesharvani	Member
5.	Shri Sameer Singh Thakur	Member

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.